रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2009/श्रावण 22, 1931 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 129
No. 125] DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2009/SRAVANA 22, 1931 [N.C.T.D. No. 129

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

सं. रा.चु.आ./दि.न.नि./उप चु./2009/1385.—दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 1970 के नियम 21(2) के अनुपालन में निम्नलिखित को सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया गया :—

STATE ELECTION COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2009

No. SEC/MCD/Bye-Election/2009/1385.—In pursuance of Rule 21(2) of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 1970, the following is published for general information :—

फार्म 7

FORM 7

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[नियम 20 (1) देखिए]

[*See* Rule 20(1)]

वार्ड संख्या-17 समयपुर बादली से दिल्ली नगर निगम का निर्वाचन

Election to the Delhi Municipal Corporation from Ward No. 17 Samaypur Badli

क्र. सं. Sl. No.	उम्मीदवार का नाम Name of the Candidate	उम्मीदवार का पता Address of Candidate	संबंधित दल Party Affiliation	आबंटित प्रतीक Symbol Allotted
1	2	3	4	5
(i) राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार (i) Candidates of Recognised Political Parties at National Level				
1.	ए.ए. दीपक चौधरी A.A. Deepak Chaudhary	म.नं. 359, समयपुर, दिल्ली H.No. 359, Samaypur, Delhi	इंडियन नेशनल काँग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand

(1)

सत्यापित

20-11-17

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

सं. फा. 21(4)/2009/विसस-4/विधायी/6021.—राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के ओखला विधान सभा निवार्चन क्षेत्र (संख्या 54) से निर्वाचित विधान सभा सदस्य श्री परवेज हाशमी ने चतुर्थ विधान सभा में अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और माननीय अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है ।

सिद्धार्थ राव, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2009

No. F. 21(4)/2009/LAS-IV/Leg./6021.—Shri Parvez Hashmi, an elected member of the Fourth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi from Okhla Assembly Constituency (No. 54), has resigned his seat in the Lagislative Assembly and his resignation has been accepted by the Hon'ble Speaker with immediate effect.

SIDDHARATH RAO, Secy.

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

सं: फा. (1050)/2009-एसबी/591-597.—दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का दिल्ली अधिनियम 6) की धारा 31 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम के निम्नलिखित संविधियाँ बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.–(1) ये संविधियाँ दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम (प्रथम) संविधि, 2009 कही जायेगी ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी ।

2. परिभाषाएं.–(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन संविधियों में,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का दिल्ली अधिनियम 6);

(ख) "शैक्षिक स्टाफ" के अंतर्गत प्रोफेसर, असोशिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रोग्रामर, सिस्टम मैनेजर, फोरमैन इंस्ट्रैक्टर, निदेशक शारीरिक शिक्षा और प्रबंधन बोर्ड द्वारा तय किए गए अन्य शैक्षिक पद होंगे;

(ग) "अध्ययन मंडल" का अर्थ है किसी विभाग/केन्द्र का अध्ययन मंडल;

(घ) "खण्ड" का अर्थ है संविधियों के खण्ड जिनमें वह अभिव्यक्ति आती है;

(ङ) "संकाय" का अर्थ है विश्वविद्यालय का संकाय जिसमें एक या अधिक विभाग या अध्ययन केन्द्र शैक्षिक कार्य के लिए समूहबद्ध किए गए हों;

(च) "अध्यक्ष" का अर्थ है विभाग या अध्ययन केन्द्र का अध्यक्ष;

(छ) "कॉलेज अध्यक्ष" का अर्थ है कॉलेज का प्राचार्य या निदेशक;

(ज) "गैर शिक्षण स्टाफ" के अंतर्गत रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, तकनीकी स्टाफ, प्रशासनिक, अनुसचिवीय और प्रबंधन बोर्ड द्वारा तय किया गया अन्य स्टाफ शामिल है;

(1) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा ।

(2) इन संविधियों में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उनके लिए अधिनियम में प्रदान किया गया है ।

3. कुलाधिपति और उसके कार्य.–(क) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा ।

(ख) कुलपति.–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा ।

(2) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति उप-खण्ड (3) के अंतर्गत गठित खोज एवं चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन नामों (वर्णानुक्रम के अनुसार लिखे गए) की सूची में से करेगा ।

(3) उप-खण्ड (2) में वर्णित खोज एवं चयन समिति में निम्नांकित शामिल होंगे :

(क) एक जाने-माने परिषद् सदस्य–अध्यक्ष

(ख) किसी भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान का भूतपूर्व या वर्तमान निदेशक–सदस्य ।

(ग) किसी भारतीय प्रबंधन संस्थान का भूतपूर्व या वर्तमान निदेशक–सदस्य ।

(घ) वर्तमान या भूतपूर्व कुलपति स्तर का कोई परिषद् सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामित के रूप में–सदस्य ।

(ङ) भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग में सचिव–सदस्य सचिव (पदेन) ।

(4) खोज एवं चयन समिति अपने सदस्य सचिव को नाम (वर्णानुक्रम के अनुसार) अग्रसारित करेगी ।

(5) कुलपति उस तारीख से जब से वह अपने कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करता है तब से पांच वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा तथा पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होगा जिसकी अवधि एक और अवधि से अधिक नहीं होगी ।

उपबंध है कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान 70 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर पद पर नहीं रहेगा ।

सत्यापित
20-11-17
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(6) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी :–

(i) कुलपति को 25000 रुपये प्रतिमास का वेतन या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दिया जाने वाला वेतन, इनमें जो अधिक हो दिया जायेगा तथा कुलपति और कुलाधिपति के बीच परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार इसमें बढ़ोतरी की जा सकेगी । कुलपति विश्वविद्यालय की कार को नि:शुल्क उपयोग करने का पात्र होगा और किराये का भुगतान न करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान सुसज्जित आवास का प्रयोग करेगा/करेगी तथा कार और आवास के अनुरक्षण के लिये कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा :

उपबंध है कि पेंशन पाने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति कुलपति के रूप में किए जाने की स्थिति में, उसका वेतन प्राप्त की जा रही पेंशन को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ii) उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त कुलपति को अवकाश लाभ तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिये स्वीकार्य अन्य भत्तों का भी लाभ मिलेगा ।

(iii) कुलपति समय-समय पर प्राप्त होने वाले उन लाभों तथा भत्तों का भी पात्र होगा जो कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन से प्रबंधन बोर्ड द्वारा निश्चित किये जायेंगे :

उपबंध है कि जहां विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्थान का कर्मचारी या उक्त अन्य विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान द्वारा अनुरक्षित या संबद्ध कॉलेज या संस्थान के कर्मचारी को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे अपनी भविष्य निधि जिसका वह सदस्य है में अंशदान करते रहने की अनुमति होगी तथा विश्वविद्यालय उस व्यक्ति के खाते में भविष्य निधि की राशि उसी दर पर जमा करता रहेगा, जिस पर वह कुलपति के रूप में नियुक्ति से तुरंत पहले करता रहा हो :

यह भी उपबंध है कि जहां कर्मचारी किसी पेंशन योजना का सदस्य रहा हो विश्वविद्यालय उस स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा ।

(7) यदि, कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र देने या अन्यथा कारण से रिक्त हो जाता है, या यदि निदेशक अपने रुग्ण स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य कारण के आधार पर अपने कार्य का निर्वहन करने में असमर्थ है तो वरिष्ठतम उप-कुलपति कुलपति के कार्यों का निष्पादन करेगा । यदि उप-कुलपति नहीं है तो वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष तब तक कुलपति के कार्यों का निर्वाह करेंगे, जब तक नया कुलपति, जैसी भी स्थिति हो, अपना पद नहीं संभालता या विद्यमान कुलपति अपने पद पर कार्य के लिये उपस्थित नहीं होता ।

4. कुलपति की शक्तियां और प्रकार्य.–(1) (क) कुलपति, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद्, आयोजना बोर्ड और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(ख) कुलाधिपति के विश्वविद्यालय की बैठकों में अध्यक्षता न कर पाने की स्थिति में कुलपति ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित रहेंगे तथा संबोधित करेंगे, परन्तु तब तक मतदान करने के लिये पात्र नहीं होंगे जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नहीं है ।

(3) यह देखना कुलपति का दायित्व होगा कि अधिनियम, संविधियां, अध्यादेशों और विनियमों का विधिवत् पालन किया जाता है और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये उसके पास सभी आवश्यक शक्तियां होंगी ।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों को लागू करेगा ।

(5) कुलपति के पास विश्वविद्यालय में उपयुक्त अनुशासन बनाए रखने के लिये सभी आवश्यक शक्तियां होंगी और वह ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को ऐसी किन्हीं शक्तियों को सौंप सकते हैं जैसा वह उचित समझते हों ।

(6) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को छुट्टी देने में सक्षम होंगे और उसकी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे अधिकारी के कर्तव्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक प्रबन्ध करेंगे ।

(7) कुलपति नियमानुसार विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को अनुपस्थिति के लिये छुट्टी प्रदान करेंगे, तथा यदि वह ऐसा निर्णय करते हैं तो वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्ति सौंप सकेंगे ।

(8) कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन से विचारालय की बैठक तथा प्रबंधन बोर्ड अकादमिक, परिषद्, योजना बोर्ड तथा वित्त समिति की बैठकें आयोजित करेंगे या आयोजित करवा सकेंगे ।

(9) कुलपति को प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन के साथ ऐसे व्यक्तियों की अल्पावधि नियुक्तियां करने का अधिकार होगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए आवश्यक समझता हो, जो छह महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं की जा सकेगी ।

5. उप-कुलपति.–(1) प्रत्येक उप-कुलपति प्रबंधन बोर्ड द्वारा कुलपति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा :

उपबंध है कि यदि कुलपति की सिफारिश प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाती तो मामला कुलपति के पास भेजा जायेगा जो उप-कुलपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति की नियुक्ति करेगा अथवा उप-कुलपति से अनुरोध करेगा कि वह प्रबंधन बोर्ड के विचारार्थ अन्य किसी व्यक्ति की सिफारिश करे ।

(2) उप-कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने तक, इनमें जो भी पहले हो, तक होगा और वह पुन: नियुक्ति का पात्र होगा/होगी :

उपबंध है कि उप-कुलपति 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर सेवानिवृत्त होगा :

यह भी उपबंध है कि संविधि के खंड 3 (ख) के उप-खंड 7 के अंतर्गत कुलपति के कार्यों का निष्पादन करते हुए उप-कुलपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद नए कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक अथवा मौजूदा कुलपति के दायित्व ग्रहण करने तक, इनमें जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा ।

(3)(क) उप-कुलपति का वेतन कुलपति के अनुमोदन से प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

सत्यापित 20/11/12
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(ख) प्रत्येक उप-कुलपति किराये के भुगतान के बिना अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सुसज्जित आवास के प्रयोग का हकदार होगा तथा ऐसे आवास के रखरखाव के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उप-कुलपति से किसी प्रकार का प्रभार नहीं लिया जायेगा ।

(ग) उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त उप-कुलपति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू अवकाश लाभ एवं अन्य भत्तों का हकदार होगा ।

(घ) प्रत्येक उप-कुलपति ऐसे आवधिक लाभों का हकदार होगा जैसा प्रबंधन बोर्ड समय-समय पर निश्चित करे ।

(ङ) प्रत्येक उप-कुलपति अपने कार्यकाल के अंत तक विश्वविद्यालय की भविष्य निधि में अंशदान का हकदार होगा :

उपबंध है कि जहां विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अथवा किसी संस्था या किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध अथवा उसके द्वारा पोषित संस्था के कर्मचारी को उप-कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उसे उसी पद से सम्बद्ध सेवानिवृत्ति लाभ योजना का लाभ प्राप्त होगा जिस पर वह उप-कुलपति के रूप में नियुक्ति से पूर्व पुन: कार्यग्रहण अधिकार जारी रखने का हकदार था/थी । तथापि सामान्य भविष्य निधि अथवा विश्वविद्यालय अंशदान निधि के लिये अंशदान के उद्देश्य से उसका वेतन उप-कुलपति के रूप में उसके द्वारा आहरित वेतन समझा जायेगा ।

(च) प्रत्येक उप-कुलपति ऐसे मामलों के संबंध में उप-कुलपति को सहयोग करेगा जो कुलपति द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये हों तथा ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित किये गए हों ।

6. **संकायाध्यक्ष.**–(1) परिषद् सदस्यों, अनुसंधान, परामर्श और विद्यार्थी कल्याण सम्बन्धी कार्यों और प्रबंधन बोर्ड द्वारा जरूरी समझे गए अन्य पहलुओं से निपटने के लिए संकायाध्यक्ष (डीन) होंगे ।

(2) प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति के परामर्श से विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

उपबंध है कि कोई भी संकायाध्यक्ष (डीन) 62 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पद पर नहीं रहेगा :

यह भी उपबंध है कि यदि किसी विभाग या अध्ययन केन्द्र में कभी कोई प्रोफेसर न होने की स्थिति में, कुलपति या इस संबंध में कुलपति द्वारा प्राधिकृत कोई संकायाध्यक्ष, विभाग या अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(3) संकायाध्यक्ष का पद खाली होने या बीमारी के कारण संकायाध्यक्ष के अपने कार्यालय से अनुपस्थिति रहने या किसी अन्य कारण से अपने पद के कार्यों के निष्पादन में असमर्थ रहने की स्थिति में उनके पद के कार्यों का निवर्हन इस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

(4) संकायाध्यक्ष उसे सौंपे गए कार्यात्मक समूह का अध्यक्ष होगा और उसे सौंपे गए कार्य की संचालन एवं रख-रखाव का स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) संकायाध्यक्ष अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा ।

(6) संकायाध्यक्ष को अध्ययन बोर्ड या विभाग/अध्ययन केन्द्र की समिति की बैठक में उपस्थित रहने तथा बोलने का अधिकार होगा परन्तु उसे उसमें मतदान का अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि वह उसका सदस्य न हो ।

7. **कुल सचिव.**–(1) प्रबंधन बोर्ड कुल सचिव की नियुक्ति के लिये एक चयन समिति का गठन करेगा ।

(2) प्रत्येक कुल सचिव की नियुक्ति खण्ड (1) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जायेगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा ।

(3) कुल सचिव की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित होंगी :

उपबंध है कि कोई कुल सचिव 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा ।

(4) किसी कुलसचिव का पद खाली होने या बीमारी के कारण कुलसचिव के अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने या किसी अन्य कारण से अपने पद के कार्यों के निष्पादन में असमर्थ रहने की स्थिति में उनके पद के कार्यों का निर्वहन इस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

(5) प्रबधंन बोर्ड की ओर से विशेष रूप से निर्दिष्ट कुलसचिव को शिक्षकों को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जो प्रबधंन बोर्ड द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के तहत निर्दिष्ट किए गए हों ।

(6) खण्ड (5) के अनुपालन में कुल सचिव द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध कुलपति को अपील की जा सकेगी ।

(7) जिन मामलों में किसी जांच से यह प्रकट हुआ हो कि कुल सचिव की शक्तियों से परे कोई दण्ड आवश्यक है, तो कुल सचिव जांच के उपरांत कुलपति को यथोचित कार्रवाई की अपनी सिफारिश के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

उपबंध है कि ऐसे मामले में किसी कर्मचारी को कुलपति के आदेश से दिए गए किसी दंड के खिलाफ प्रबंधन बोर्ड को अपील की जा सकेगी ।

(8) प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक पदाधिकारियों को कुलसचिव का कार्य करने के लिये पदनामित कर सकता है, अर्थात् :

(i) विचारालय का सचिव

(ii) प्रबंधन बोर्ड का सचिव

(iii) अकादमिक परिषद का सचिव

(iv) योजना बोर्ड का सचिव

(9) इस प्रकार पदनामित कोई कुलसचिव सम्बद्ध प्राधिकरण के सन्दर्भ में—

(क) प्रबंधन बोर्ड द्वारा उसके प्रभार में सौंपे गये विश्वविद्यालय के अभिलेखों, साझी मुहर तथा ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा;

(ख) उस प्राधिकरण तथा उसके द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकें बुलायेगा और तत्सम्बन्धी नोटिस जारी करेगा;

(ग) उस प्राधिकरण तथा उसके द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करेगा;

सत्यापित
20-11-17
सहायक नियन्त्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(घ) आधिकारिक प्रक्रियाओं और पत्राचार का संचालन करेगा; तथा

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्य सूची जारी होते ही और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त की प्रति कुलपति को उपलब्ध करायेगा;

(10) कुलपति किसी कुलसचिव को विश्वविद्यालय द्वारा या इसके विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों या कार्रवाईयों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने, मुख्तारनामा हस्ताक्षर करने, दलीलों की जांच करने तथा इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में पदनामित कर सकता है ।

(11) कुल सचिव विश्वविद्यालय के किसी भी प्रयोजन को पूरा करने के लिए न्यास और अचल परिसम्पत्तियों सहित विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों को धारण करेगा और उनकी व्यवस्था करेगा ।

(12) कुल सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के रजिस्टरों का समुचित रखरखाव किया जाये और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित संस्थानों सहित विश्वविद्यालय के कार्यालयों और शाखाओं में उपकरणों तथा अन्य सामग्री के स्टॉक की पड़ताल की जा रही है ।

(13) कुल सचिव ऐसे अन्य कार्यों को भी अंजाम देगा जो संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों में निर्दिष्ट किए गए हों अथवा प्रबंधन बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित समझे गए हों ।

8. वित्त नियंत्रक.—(1) प्रबंधन बोर्ड वित्त नियंत्रक की नियुक्ति के लिये एक चयन समिति गठित करेगा ।

(2) वित्त नियंत्रक खण्ड (1) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और कुलपति के नियंत्रण में कार्य करेगा ।

(3) वित्त नियंत्रक की परिलब्धियां तथा अन्य सेवा शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित होंगी :

उपबंध है कि वित्त नियंत्रक 60 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होगा ।

(4) वित्त नियंत्रक का पद खाली होने या बीमारी के कारण वित्त नियंत्रक के अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने या किसी अन्य कारण से अपने पद के कार्यों के निष्पादन में असमर्थ रहने की स्थिति में उनके पद के कार्यों का निर्वहन इस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

5. वित्त नियंत्रक —

(क) विश्वविद्यालय की निधि की सामान्य देखरेख करेगा और वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में उसे सलाह देगा; तथा

(ख) अन्य ऐसे वित्तीय कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे प्रबंधन बोर्ड द्वारा सौंपे गए हों अथवा संविधियों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए गए हों,

उपबंध है कि वित्त नियंत्रक तीन लाख रुपये या प्रबंधन बोर्ड द्वारा निश्चित राशि से अधिक कोई व्यय या पूंजी निवेश सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं करेगा ।

(6) कुलपति तथा प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रक के अधीन वित्त नियंत्रक–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;

(ख) कुलपति के अनुमोदन के साथ विश्वविद्यालय के धन का समुचित और समय पर निवेश करने के प्रति जिम्मेदार होगा ।

(ग) वित्त समिति के अनुमोदन से लेखा-बहियों को तैयार कराने के प्रति जिम्मेदार होगा;

(घ) विश्वविद्यालय की लेखा-बहियों का आंतरिक और बाहरी लेखा-परीक्षण तैयार कराने के प्रति जिम्मेदार होगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ष में आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक नहीं हैं और धनराशि उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च या व्यय की गई है जिनके लिए वह प्रदान या आवंटित की गई थी;

(च) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा बजट तैयार करने और वित्त समिति द्वारा विचार किए जाने के उपरांत उन्हें प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रति उत्तरदायी होगा;

(छ) नकदी और बैंक शेष तथा निवेश पर कड़ी निगरानी रखेगा;

(ज) राजस्व वसूली की प्रगति पर निगरानी रखेगा और वसूली के लिए नियोजित पद्धतियों के बारे में सलाह देगा;

(झ) किसी अनधिकृत व्यय या किसी अन्य वित्तीय अनियमितता की जानकारी कुलपति को देगा और दोषी व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई के बारे में सलाह देगा; और

(ञ) अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझी गयी कोई जानकारी या रिपोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित कॉलेजों सहित विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय से मंगवायेगा ।

(7) वित्त नियंत्रक या प्रबंधन बोर्ड द्वारा इस आशय के लिये अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दी गई कोई रसीद विश्वविद्यालय को धनराशि का भुगतान सम्पन्न किये जाने के लिये पर्याप्त होगी ।

9. पुस्तकालयाध्यक्ष.—पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति के उद्देश्य के लिये गठित किसी चयन समिति की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा उसके पास प्रबंधन बोर्ड द्वारा यथासुनिश्चित शैक्षिक योग्यताएं होंगी तथा वह उन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

10. प्रबंधन बोर्ड.—(1) प्रबंधन बोर्ड के पास विश्वविद्यालय के प्रबंधन और उसके राजस्व तथा उसकी सम्पत्तियों के प्रबंधन की शक्तियां होंगी और अन्यथा न उपबन्धित विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेगा ।

(2) अधिनियम, संविधियों तथा अध्यादेशों के प्रावधानों की शर्त पर प्रबंधन बोर्ड अधिनियम एवं संविधियों द्वारा तथा अन्तर्गत

सत्यापित
20-11-17
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

इसमें सन्निहित अन्य शक्तियों के अलावा निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में अध्यापन तथा अन्य अकादमिक पदों का सृजन और शैक्षिक परिषद् की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा तैनात प्राध्यापकों, सम्बद्ध प्राध्यापकों तथा सहायक प्राध्यापकों और अन्य शिक्षकों तथा शैक्षणिक स्टाफ की कर्तव्य तय सेवा शर्तें परिभाषित करना;

(ख) शैक्षणिक परिषद् की सस्तुति को ध्यान में रखने के बाद शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक स्टाफ की योग्यताएं एवं अन्य योग्यताएं शर्तें निर्धारित करना;

(ग) इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समितियों की संस्तुतियों के आधार पर यथावश्यक ऐसे प्राध्यापकों, सम्बद्ध प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, अन्य शिक्षकों तथा ऐसे अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति करना;

(घ) शैक्षणिक स्टाफ और गैर-शैक्षणिक स्टाफ की अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति करना;

(ङ) शैक्षणिक स्टाफ और गैर-शैक्षणिक स्टाफ की अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति की पद्धति विनिर्दिष्ट करना;

(च) विजिटिंग प्रोफेसरों, चेयर्ड प्राध्यापकों की नियुक्तियों की व्यवस्था करना तथा ऐसी नियुक्ति की शर्तें निर्धारित करना;

(छ) वित्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् प्रशासनिक, लिपिकीय, तकनीकी तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनकी नियुक्ति की पद्धति को विनिर्दिष्ट करना;

(ज) गैर-शैक्षिक स्टाफ की शैक्षिक योग्यता तथा अन्य पात्रता शर्तें निर्धारित करना;

(झ) इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समितियों की संस्तुतियों के आधार पर यथावश्यक गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति करना;

(ञ) संविधियों तथा अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना तथा विनियमित करना;

(ट) विश्वविद्यालय की ओर से किसी अचल या चल सम्पत्ति का अन्तरण या अन्तरण स्वीकार करना;

(ठ) विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों और विद्यार्थियों की शिकायतों को स्वीकार करना, अधिनिर्णय करना या समाधान करना, जो किसी कारण असंतुष्ट अनुभव कर सकते हैं;

(ड) वित्त समिति के साथ परामर्श करने के बाद निरीक्षकों को दिय पारिश्रमिक तथा यात्रा तथा अन्य भत्ते निश्चित करना;

(ढ) विश्वविद्यालय की एक साझी मोहर चुनना और मोहर(सील) के प्रयोग की व्यवस्था करना;

(ण) कुलपति को अपनी कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना तथा विश्वविद्यालय के या उसके द्वारा नियुक्त समिति के कुलपति की सिफारिश पर प्रो-उप-कुलपतियों, कुल सचिवों, वित्त नियंत्रक या कोई अन्य अधिकारी, कर्मचारी या प्राधिकारी को शक्तियों प्रत्यायोजित करना;

(त) फेलोशिप, छात्रवृत्तियां, छात्रवृत्ति प्रारम्भ करना; तथा

(थ) अधिनियम या संविधियां द्वारा यथाप्रदत्त या सौंपी ऐसी अन्य शक्तियां का प्रयोग करना तथा कर्तव्य करना ।

(3) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित न हों ।

(4) प्रबन्धन बोर्ड प्रति तीन माह में कम से कम एक बैठक करेगा ।

11. शैक्षणिक परिषद्—(1) शैक्षिक परिषद् :—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों की सामान्य देख-रेख करना और शैक्षिक मानकों सम्बन्धी शिक्षण अनुदेश पद्धतियां, मूल्यांकन या अनुसंधान या सुधार सम्बन्धी निर्देश देगी;

(ख) अपनी ओर से या योजना बोर्ड या किसी विभागों से अथवा अध्ययन विद्यालय या प्रबंधन बोर्ड की तरफ से आम शैक्षणिक हितों के मामलों पर विचार करना तथा उस पर समुचित कार्यवाही करना; तथा

(ग) ऐसे विनियम बनाना जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक कार्यप्रणाली से संबंधित संविधियों तथा अध्यादेशों के अनुकूल हों जिसमें अनुशासन, प्रवेश, शुल्क तथा अन्य शैक्षणिक आवश्यकताएं शामिल हैं ।

(2) शैक्षणिक परिषद् की प्रति चार माह में एक बार बैठक होगी।

(3) शैक्षणिक परिषद् खण्ड 16(2) एवं 16(3) के अन्तर्गत गठित चयन समितियों के बनने वाले सदस्य विशेषज्ञों/व्यवसायियों की एक सूची तैयार करेगा। ऐसी विशेषज्ञों/व्यवसायियों की किसी ऐसी सूची सचिव प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जब कभी सरकार द्वारा अपेक्षित होगी। शैक्षणिक परिषद् द्वारा तैयार सूची में विशेषज्ञ/व्यवसायी हटाएं/प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

12. योजना बोर्ड—(1) प्रबन्धन बोर्ड में कुलपति होंगे और प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक न हो ।

(2) कुलपति को छोड़कर योजना बोर्ड के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ।

(3) योजना बोर्ड और विश्वविद्यालय के विकास और विस्तार के लिये उपयुक्त योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा और इसके अतिरिक्त उसे प्रबन्धन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद् को किसी विषय पर सलाह देने का अधिकार है जो वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक समझते हों ।

(4) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के नियोजन और अनुकूलन के लिये यथावश्यक ऐसी समितियां गठित कर सकता है ।

सत्यापित
20-4-17
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(5) योजना बोर्ड ऐसे समयान्तराल पर बैठक करेगा जो वह समयोचित समझता हो, लेकिन यह एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगा ।

13. **विभाग तथा विद्यापीठ.**—(1) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में यथाविनिर्ष्टि विभागों तथा अध्ययन विद्यापीठ होंगे ।

(2) प्रत्येक विभाग या अध्ययन विद्यापीठ में अध्यादेशों में यथानिर्धारित विभागाध्यक्ष के अन्तर्गत होगा।

(3) विभागों तथा विद्यापीठों की संरचना तथा कर्तव्य और अन्य सम्बद्ध विषय अध्यादेशों में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

14. **अध्ययन मण्डल.**—(1) प्रत्येक विभाग एवं अध्ययन विद्यापीठ के पास विभाग या विद्यापीठ, जैसी भी स्थिति हो, के शैक्षिक विषय पर सलाह देने के लिये अध्ययन मण्डल होगा जिसमें पाठ्यक्रम को तैयार करने तथा इसके नियमित अद्यतन करना शामिल है ।

(2) अध्ययन बोर्ड/मण्डल की संरचना तथा इसके कर्तव्य अध्यादेशों में यथाविनिर्ष्टि होंगे ।

15. **वित्त समिति.**—(1) वित्त समिति विश्वविद्यालय की वित्तीय नीतियां विकसित करेगी तथा विश्वविद्यालय के राजस्व तथा व्यय का निरीक्षण करेगी ।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की गतिविधियों के माध्यम से राजस्व जुटाने सम्बन्धी वित्त समिति की ये संस्तुतियां प्रबन्धन मण्डल के समक्ष किसी निर्णय के लिए प्रस्तुत की जाएंगी ।

(3) वित्त समिति विश्वविद्यालय की गतिविधियां संचालनात्मक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने के उपाय और विश्वविद्यालय के प्रमुख व्यय प्रस्तावों सम्बन्धी संस्तुतियां करेगी, जैसा प्रबन्धन बोर्ड द्वारा आपेक्षित हो सकता है ।

(4) वित्त नियंत्रक वित्त समिति के पदेन सदस्य-सचिव होंगे ।

(5) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और बजट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अनुमोदनार्थ वित्त समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

16. **चयन समितियां.**—(1) प्राध्यापकों, सम्बद्ध प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, अन्य शैक्षिक स्टाफ तथा विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय के अध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति के लिये प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करने के लिये चयन समितियां गठित की जाएंगी ।

(2) प्राध्यापकों, सम्बद्ध प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, अन्य शिक्षक एवं अन्य शैक्षिक स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के लिये चयन समितियों की प्रत्येक समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

(i) कुलपति;

(ii) प्रबन्धमण्डल द्वारा नामांकित सम्बद्ध विषय के संकायाध्यक्षों में से एक;

(iii) प्रत्येक विभाग/विद्यापीठ के लिये शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित कम से कम सात नामों के पेनल में से कुलपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले विश्वविद्यालय से न सम्बन्धित तीन विशेषज्ञ;

(iv) चयन समिति के चार सदस्य (जिसमें कम से कम दो विशेषज्ञ होंगे) : खण्ड (2) के अन्तर्गत गठित चयन समिति बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति के लिये प्रत्येक चयन समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :–

(i) कुलपति;

(ii) सचिव, तकनीकी शिक्षा, दिल्ली सरकार;

(iii) प्रधानाचार्य/निदेशक के पद के लिये शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित पेनल में से कुलपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले तीन प्रतिष्ठित व्यवसायी;

(iv) कुलपति द्वारा नामांकित किए जाने वाली प्रबन्ध बोर्ड का कोई सदस्य :–

चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी तथा इसमें उक्त श्रेणी (iii) में से कम से कम एक व्यक्ति शामिल होगा।

(4) शैक्षिक स्टाफ के अलावा विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के लिये प्रत्येक चयन समितियों का प्रत्येक समिति में निम्नलिखित होंगे अर्थात् :–

(i) कुलपति या उसका नामोनिर्दिष्ट, जो विश्वविद्यालय के प्रो. कुलपति का रैंक से कम न हो;

(ii) कुल सचिव;

(iii) सचिव, तकनीकी शिक्षा, दिल्ली सरकार या उसका नामोनिर्दिष्ट जो संयुक्त समिति का रैंक कम न हो;

(iv) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक प्रतिनिधि, जो राजपत्रित अधिकारी की रैंक का हो ।

शर्त यह है कि जब कभी आवश्यक हो, तब उक्त चयन समितियों में से कुलपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले दो विशेषज्ञ।

(5) खण्ड (4) के अन्तर्गत गठित किसी चयन समिति की बैठक की संस्तुतियों करने में गणपूर्ति के लिये तीन होंगे।

(6) इस संविधि के अन्तर्गत गठित चयन समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं अध्यादेश में यथा उल्लिखित के अनुसार होगी ।

17. **नियुक्ति की विशेष पद्धति.**—(1) संविधि 16 में कुछ भी रहते हुए प्रबंधन बोर्ड उच्च शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त, व्यावसायिक प्रतिष्ठा प्राप्त किसी व्यक्ति को यथोचित शर्तो पर विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक/सम्बद्ध प्राध्यापक या किसी अन्य समकक्ष शैक्षिक पद स्वीकार करने के लिये आमंत्रित कर सकता है और ऐसे पद पर व्यक्ति की नियुक्ति करे ।

(2) प्रबंधन बोर्ड किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ के किसी सदस्य को अध्यापन कार्य या किसी परियोजना या किसी अन्य कार्य को प्रारम्भ करने के लिए ऐसी शर्तों पर नियुक्त कर सकता है जो इस संविधियों में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार प्रबन्ध मण्डल द्वारा यथानिर्धारित हो ।

18. **मान्यताप्राप्त शिक्षक.**—(1) 18 विश्वविद्यालय की देख-रेख में चल रहे महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की मान्यता के लिए शैक्षिक योग्यताएं तथा पात्रता की अन्य शर्तें अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित होंगी।

सत्यापित 20-11-17

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(2) किसी महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की मान्यता से सम्बन्धित सभी मामले संविधि 16 के खण्ड 2 के अधीन यथा गठित चयन समितियों द्वारा निपटाए एवं अनुमोदित किए जाएंगे।

19. **समितियाँ.**—(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, जैसा उचित समझे, स्थायी अथवा विशेष समितियों की नियुक्ति कर सकता है तथा ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां कर सकता है जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य न हों ।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त, कोई समिति इसे प्रत्यायोजित मामले का निपटान कर सकती है तथा कार्यवाही करने से पूर्व, यदि कोई हो तो, इसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से इसकी पुष्टि करेगी।

20. **विश्वविद्यालय के शिक्षण तथा अन्य अकादमिक स्टाफ के लिए सेवा शर्तें और आचार संहिता.**—(1) विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापक तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ किसी विपरीत करार की अनुपस्थिति में संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों और आचार संहिता द्वारा नियंत्रित होगा।

(2) प्रत्येक अध्यापक तथा शैक्षणिक स्टाफ का सदस्य एक लिखित संविदा पर नियुक्त होगा।

(3) खण्ड (2) में संदर्भित प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुल सचिव के पास जमा होगी।

21. **विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा आचार संहिता.**—(1) विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी प्रतिकूल करार की अनुपस्थिति में संविधियों तथा अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

22. **विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाना.**—(1) यदि, किसी विश्वविद्यालय के अध्यापक शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य या किसी कर्मचारी के विरुद्ध दुराचरण का कोई गंभीर आरोप है, तो किसी शिक्षक या अकादमिक स्टाफ के किसी सदस्य की स्थिति में कुलपति तथा किसी अन्य कर्मचारी, जैसी भी स्थिति हो कि स्थिति में, नियुक्ति के लिये सक्षम प्राधिकारी (इसके बाद नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में सन्दर्भित) जैसी भी स्थिति हो, लिखित आदेश से ऐसे अध्यापक, शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलम्बित कर सकते हैं और प्रबंधन बोर्ड को तत्काल सूचित करेंगे जिन परिस्थितियों में ऐसा आदेश किया गया है।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा की शर्तों में निहित या सेवा शर्तों में निहित किसी बात की अन्यथा होते हुए शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के संबंध में प्रबंधन बोर्ड तथा अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी कदाचार के आधार पर शिक्षक अथवा शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारियों, जैसी भी स्थिति हो, को हटाने की शक्ति होगी।

(3) पूर्वोक्त के बचाव में प्रबंधन बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, किसी शिक्षक शैक्षणिक स्टाफ के किसी सदस्य अथवा किसी कर्मचारी को किसी उचित कारण के बिना तथा संबंधित व्यक्ति को तीन माह की सूचना देने के पश्चात् अथवा उसके स्थान पर उसे तीन माह का वेतन भुगतान किये बिना हटाने का हकदार नहीं होगा।

(4) किसी अध्यापक, अकादमिक स्टाफ के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी को खण्ड (2) या खण्ड (3) के अन्तर्गत तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का एक यथोचित अवसर न दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक स्टाफ के किसी सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी की बर्खास्तगी, उसके बर्खास्तगी के आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।

(6) इस संविधि के पूर्वोक्त उपबन्धों में कुछ भी रहते हुए कोई शिक्षक, अकादमिक स्टाफ का कोई सदस्य या अन्य कर्मचारी प्रबन्धन बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, लिखित में एक माह का नोटिस देकर या इसके स्थान पर एक माह का वेतन जमा करके त्याग-पत्र दे सकता है। उपबंध है कि ऐसे त्याग-पत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जब से वह प्रबंधन बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

23. **विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना.**—(1) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में अनुशासन एवं अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी शक्तियां उस कुलपति के पास होंगी जो अपनी समस्त या कुछ शक्तियां विश्वविद्यालय का ऐसे अधिकारियों को सौंप सकते हैं जैसा वह उचित समझे।

(2) अनुशासन के रखरखाव सम्बन्धी अपनी शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा अनुशासन बनाए रखने के यथोचित ऐसी कार्रवाई करने के लिए कुलपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश द्वारा निदेश दे सकते हैं कि किसी छात्र को किसी लिखित अवधि के लिए निष्कासित या अस्थायी रूप से निष्कासन किया जाए तथा किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में विनिर्दिष्ट प्रवेश न दिया जाए या आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि के लिए दण्डित किया जाए या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा या उन परीक्षाओं में एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए या सम्बद्ध छात्र या छात्रों के परीक्षा परिणाम रद्द किए जाएं जिसमें उसने या उन्होंने भाग लिया है।

(3) महाविद्यालयों के प्रमुखों को संबंधित कॉलेजों के छात्रों के मामले में ऐसी समस्त अनुशासनात्मक शक्तियाँ प्रयोग करने का प्राधिकार होगा जैसा ऐसे कॉलेज के उचित एवं प्रभावी कार्यप्रणाली के लिये आवश्यक हों ।

24. **अन्य उपबंध पूर्व दिल्ली इंजीनियरी कालेज से स्थानांतरित कर्मचारियों के सम्बन्ध में.**—(क) कुलपति पूर्व दिल्ली इंजीनियरी कालेज के सभी कर्मचारियों सम्बन्धी पूर्ववर्ती निदेशक, दिल्ली इंजीनियरी कालेज की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(ख) जब तक इस विषय पर विशेष संविधियां या अध्यादेश या विनियम बनाने के लिये विश्वविद्यालय के सक्षम होने तक पूर्व दिल्ली इंजीनियरी कालेज पर लागू सामान्य विनियम या पद्धतियां इन कर्मचारियों पर लागू होते रहेंगे ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

विनोद कुमार जैन, अतिरिक्त सचिव
(प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

सत्यापित
20-11-17
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2009

No. F.1 (1050)/2009-SB/591-597.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 read with section 30 of the Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009), the Government of National Capital Territory of Delhi, after obtaining the prior approval of the Chancellor, hereby, makes the following Statutes of the Delhi Technological University, Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These Statutes may be called the Delhi Technological University (First) Statutes, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these Statutes, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009);

(b) "academic staff " shall means Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Librarian, Deputy Librarian, Assistant Librarian, Programmer, System Manager, Foreman Instructor, Director Physical Education and such other academic posts as may be decided by the Board of Management;

(c) "Board of Studies" means Board of Studies of a Department / School;

(d) "clause" means the clause of a Statutes in which that expression occurs;

(e) "Faculty" means a faculty of the University comprising one or more departments or schools grouped together for academic functions;

(f) "Head" means Head of the Department or School;

(g) "Head of College" means the Principal or Director of the College;

(h) "non-teaching staff" includes Registrar, Controller of Finance, Controller of Examinations, technical staff, administrative, ministerial and other staff, as may be decided by the Board of Management;

(i) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these Statutes and defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3(A) The Chancellor and his functions.—The Chancellor, by virtue of his office shall be the Chairman of the Court.

3(B) The Vice-Chancellor.— (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names (written in the alphabetical order) recommended by the search-cum-selection committee constituted under sub-clause (3).

(3) The search-cum-selection committee referred to in sub-clause (2) shall comprise of :—

(a) an eminent academician — Chairman.

(b) former or present Director of a Indian Institute of Technology —Member.

(c) former or present Director of Indian Institute of Management —Member.

(d) an academician of the level of a Vice-Chancellor, present or former, as a nominee of the University Grants Commission—Member.

(e) Secretary, in the Technical Education, Department of the Government—Member Secretary (ex-officio).

(4) The search-cum-selection committee shall forward the names (in the alphabetical order) to the member secretary of the committee.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he/she enters upon his office and shall be eligible for reappointment for not more than one term :

Provided that the person appointed as Vice-Chancellor shall, on completion of seventy years of age, during his/her term of office, cease to hold office.

(6) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows:

(i) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs. 25,000 per month or the salary paid to the Vice-Chancellor of a Central University, whichever is higher, which may be subject to enhancement on mutually agreed terms and he shall be entitled to the free use of the University car and, without payment of rent, to the use of furnished residence throughout his/her term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor personally in respect of the maintenance of such car and residence:

Provided that if a person in receipt of any pension is appointed as Vice-Chancellor, his/her salary shall be fixed after taking into consideration such pension.

(ii) In addition to the salary specified in sub clause (i), the Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and other allowances as are admissible to the University employees from time to time.

(iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Board of Management with the approval of the Chancellor from time to time :

सत्यापित
20-11-17
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

Provided that where an employee of the University or of any other University or any college maintained by or affiliated to such other university is appointed as the Vice-Chancellor, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which such person had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor :

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make necessary contribution to such scheme.

(7) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other reason, the senior-most Pro Vice-Chancellor shall perform the duties of the Vice-Chancellor, and if there is no Pro Vice-Chancellor, the senior-most Dean shall perform the functions of the Vice-Chancellor until the new Vice-Chancellor assumes office or until the existing Vice-Chancellor resumes the duties of his office, as the case may be.

4. Powers and functions of the Vice-Chancellor.— (1) (a) The Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairman of the Board of Management, the Academic Council, the Planning Board and the Finance Committee.

(b) The Vice-Chancellor shall chair the meetings of the Court, in case Chancellor is unable to do so.

(2) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any other authority or any other body of the University but shall not be entitled to vote thereat unless he/she is a member of such authority or body.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he shall have all the powers necessary to ensure such observance.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(5) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such power to such officer or officers as he may deem fit.

(6) The Vice-Chancellor shall be empowered to grant leave to any officer of the University and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such officer during his absence.

(7) The Vice-Chancellor shall grant leave of absence to any employee of the University in accordance with the rules and, if he so decides, may delegate such power to another officer of the University.

(8) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meeting of the Court, with the approval of Chancellor, and the meetings of the Board of Management, the Academic Council, the Planning Board and the Finance Committee.

(9) The Vice-Chancellor shall have the power to make short-term appointments, with the approval of the Board of Management, for a period not exceeding six months, of such persons as he may consider necessary for the functioning of the University.

5. The Pro Vice-Chancellors.— (1) Every Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of the Vice-Chancellor :

Provided that if the recommendation of the Vice-Chancellor is not accepted by the Board of Management, the matter shall be referred to the Chancellor who may either appoint the person recommended by the Vice-Chancellor or request the Vice-Chancellor to recommend another person for consideration of the Board of Management.

(2) The term of office of a Pro Vice-Chancellor shall be three years or until the expiration of the term of office of the Vice-Chancellor, whichever is earlier, and he/she shall be eligible for reappointment :

Provided that a Pro Vice-Chancellor shall retire on attaining the age of sixty five years :

Provided further that a Pro Vice-Chancellor shall, while performing the functions of the Vice-Chancellor under clause 3(B) sub clause 7 of Statute, continue in office notwithstanding the expiration of his term of office as Pro Vice-Chancellor until a new Vice-Chancellor assumes office or until the existing Vice-Chancellor resumes his duties, as the case may be.

(3) (a) The salary of a Pro Vice-Chancellor shall be as decided by the Board of Management with the approval of the Chancellor.

(b) Every Pro Vice-Chancellor shall be entitled, without payment of rent, to the use of a furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall on the Pro-Vice-Chancellor personally in respect of maintenance of such residence.

(c) In addition to the salary specified in sub-clause (a), a Pro Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and other allowances as are admissible to the employees of the University from time to time.

(d) Every Pro-Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits as may be fixed by the Board of Management from time to time.

(e) Every Pro-Vice-Chancellor shall be entitled to subscribe to the contributory provident fund of the University till the end of his tenure:

Provided that where an employee of the University or a college or of any other university or institution maintained by or affiliated to such other university is appointed as Pro Vice-Chancellor, he shall continue to be

सत्यापित 20-11-17
सहायक नियन्त्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

governed by the same retirement benefit scheme to which he/she was entitled prior to his appointment as Pro Vice-Chancellor till he continues to hold his/her lien on that post. However, the pay for the purpose of subscription to the General Provident Fund or subscription to the University Contributory Fund shall be the pay drawn by him as Pro-Vice-Chancellor.

(f) Every Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall also exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him by the Vice-Chancellor.

6. The Deans.— (1) There shall be Deans to deal with academics, research, consultancy and student welfare and to deal with such other aspects as the Board of Management deems it necessary.

(2) Every Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor from among the professors of the University for a period of three years and he shall be eligible for reappointment :

Provided that a Dean on attaining the age of sixty-two years, shall cease to hold office as such :

Provided further that if at any time, there is no professor in a department or school, the Vice-Chancellor, or a Dean authorized by the Vice-Chancellor in this behalf, shall exercise the powers of the Head of the Department or school.

(3) When the office of the Dean is vacant or where the Dean is by reason of illness, absence or any other cause unable to perform the duties of his office, the duties of his office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) The Dean shall be the head of the functional cluster assigned to him and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of work in the functions assigned to him.

(5) The Dean shall perform such other functions as may be prescribed by the Ordinances.

(6) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Board of Studies or a committee of the Department / School but shall not have the right to vote thereat unless he is a member thereof.

7. The Registrars.—(1) The Board of Management shall constitute a selection committee for the appointment of Registrars.

(2) Every Registrar shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of the selection committee constituted under clause (1) and he shall be a whole-time salaried officer of the University.

(3) The emoluments and other conditions of service of a Registrar shall be such as prescribed by the Ordinances :

Provided that a Registrar shall retire on attaining the age of sixty years.

(4) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of ill health, absence or any other cause, unable to perform his functions as the Registrar, his functions shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) A Registrar designated specially in this behalf by the Board of Management shall be the power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers, as may be specified by the Board of Management by general or special order made in this behalf.

(6) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order made by the Registrar in pursuance of clause (5).

(7) In cases where an inquiry discloses that a punishment beyond the powers of the Registrar is called for, the Registrar shall, consequent to the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations for such action as the Vice-Chancellor may deem fit :

Provided that in such a case an appeal shall lie to the Board of Management against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty on an employee.

(8) The Board of Management shall designate a Registrar to act in one or more of the following capacities, namely :—

(i) Secretary to the Court

(ii) Secretary to the Board of Management

(iii) Secretary to the Academic Council.

(iv) Secretary to the Planning Board.

(9) A Registrar so designated shall, in relation to the authority concerned,—

(a) be the custodian of the records, the common seal and such other properties of the University as the Board of management may commit to his charge;

(b) issue notices and convene meetings of that authority and the committees appointed by it;

(c) keep the minutes of the meetings of that authority and the committees appointed by it;

(d) conduct the official proceedings and correspondence; and

(e) supply to the Chancellor a copy each of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as it is issued and the minutes of such meetings.

(10) Any Registrar may be designated by the Vice-Chancellor to represent the University in suits or proceedings, by or against the University, sign powers of attorney, verify pleadings and depute his representative for the purpose.

(11) The Registrar shall hold and manage the properties of the University, including trust and immovable properties, for fulfilling any of the objects of the University.

(12) The Registrar shall ensure that the registers of properties of the University are maintained properly and that stock checking is conducted of the equipment and other material in the offices and branches of the University including colleges and the institutions maintained by the University.

सत्यापित

20-1-17

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(13) The Registrar shall perform such other functions as may be specified in the Statutes, Ordinances or Regulations or as may be required from time to time by the Board of Management or the Vice-Chancellor :

8. The Controller of Finance.—(1) The Board of Management shall constitute a selection committee for the appointment of the Controller of Finance.

(2) The Controller of Finance shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of the selection committee constituted under sub clause (1) and he shall be a whole-time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(3) The emoluments and other conditions of service of the Controller of Finance shall be prescribed by the Ordinances :

Provided that the Controller of Finance shall retire on attaining the age of sixty years.

(4) When the office of the Controller of Finance is vacant or when the Controller of Finance is, by reason of ill health, absence or any other cause, unable to perform his functions as the Controller of Finance, his functions shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Controller of Finance shall—

(a) exercise general supervision over the funds of the University and advise it as regards its financial policies; and

(b) perform such other financial functions as may be assigned to him/her by the Board of Management or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances :

Provided that the controller of Finance shall not incur any expenditure exceeding three lakh rupees or such other amount as may be fixed by the Board of Management, without the prior approval of the Competent Authrority.

(6) Subject to the control of the Vice-Chancellor and the Board of Management, the Controller of Finance shall—

(a) ensure compliance of financial rules and regulations as prescribed by the university;

(b) be responsible for proper and timely investment of university funds with the approval of the Vicechancellor;

(c) be responsible to get formats of books of accounts approved by the finance committee;

(d) be responsible for getting internal and external audit of the books of accounts of the university;

(e) see that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and the money is expended or spent for the purposes for which it was granted or allotted;

2966 DS/09-5

(f) be responsible for the preparation of the annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Board of Management after they have been considered by the Finance Committee;

(g) keep a constant watch on the cash and bank balances and investments;

(h) watch the progress of collection of revenues and advise on the methods of collection employed;

(i) bring to the notice of the Vice-Chancellor any unauthorized expenditure or any other financial irregularity and suggest appropriate action against person at fault; and

(j) call from any office of the University, including colleges maintained by the University, any information or report that he/she may consider necessary for the performance of his functions.

(7) Any receipt given by the Controller of Finance or by the person or persons duly authorized in this behalf by the Board of Management shall be a sufficient discharge for payment of moneys to the University.

9. The Librarian.—The Librarian shall be a whole-time salaried officer appointed by the Board of Management on the recommendation of a selection committee constituted for the purpose, and shall possess such qualifications and exercise such powers and perform such duties, as may be determined by the Board of Management.

10. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall have the power of management and administration of the revenues and properties of the University and the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for.

(2) Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, the Board of Management shall, in addition to the other powers vested in it by and under the Statutes, have the following powers, namely :

(a) to create teaching and other academic posts in the University and colleges and to define the functions and conditions of service of the Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and the academic staff employed by the University after taking into consideration the recommendations of the Academic Council;

(b) to prescribe qualifications and other conditions of eligibility for teachers and other academic staff after taking into account the recommendations of the Academic Council;

(c) to make appointments of such Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and such academic staff as may be necessary, on the recommendations of the selection committees constituted for the purpose;

सत्यापित

20-11-17

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(d) to make appointments to temporary vacancies of any academic and non-teaching staff;

(e) to specify the manner of appointment to temporary vacancies of the academic and non-teaching staff;

(f) to provide for the appointment of visiting professors, chaired professors and determine the terms and conditions of such appointment;

(g) to create administrative, ministerial, technical and other necessary posts after taking into account the recommendations of the Finance Committee and to specify the manner of appointment thereto;

(h) to prescribe qualifications and other conditions of eligibility for non-teaching staff;

(i) to make appointments of non-teaching staff as may be necessary, on the recommendations of the selection committees constituted for the purpose;

(j) to regulate and enforce discipline amongst the employees in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(k) to transfer or accept transfers of any immovable or movable property on behalf of the University;

(l) to entertain, adjudicate upon or redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason feel aggrieved;

(m) to fix the remuneration payable to invigilators and travelling and other allowances payable after consulting the Finance Committee;

(n) to select a common seal for the University and to provide for the use of such seal;

(o) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, and on the recommendations of the Vice-Chancellor to the Pro Vice-Chancellors, Registrars, the Controller of Finance or any other Officer, employee or authority of the University or to a Committee appointed by it;

(p) to institute fellowships, scholarships, studentships; and

(q) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed by the Act or the Statutes.

(3) The Board of Management shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations for the fulfilment of the objects of the University.

(4) The Board of Management shall meet atleast once, in every three months.

11. The Academic Council.—(1) The academic council shall :

(a) exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, evaluation or research or improvement in academic standards;

(b) consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference from the Planning Board or a Department/ School of studies or the Board of Management and to take appropriate action thereon; and

(c) frame such regulations as are consistent with the Statutes and the Ordinances regarding the academic functioning of the University, including discipline, admissions, award of fellowships and studentships, fees and other academic requirements.

(2) The academic council shall meet at least once, in every four months.

(3) The academic council shall draw up a list of experts/professionals to be members of selection committees constituted under Clause 16 (2) and 16 (3). Such a list of experts/professionals shall be submitted to the Government, through Secretary, Department of Training & Technical Education and as may be required by the Government, experts/professionals would be dropped/ substituted in the list drawn up by the academic council.

12. The Planning Board.—(1) The Planning Board shall consist of the Vice-Chancellor and not more than six members to be nominated by the Board of Management.

(2) All the members of the Planning Board, other than the Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years.

(3) The Planning Board shall design and formulate appropriate plans for development and expansion of the University, and it shall, in addition, have the right to advise the Board of Management and the Academic Council on any matter which it may deem necessary for the fulfilment of the objects of the University.

(4) The Planning Board may constitute such committees as may be necessary for planning and monitoring the programmes of the University.

(5) The Planning Board shall meet at such intervals as it deem expedient, but it shall meet at least twice in a year.

13. The Departments and the Schools.— (1) The University shall have such departments and schools of studies as may be specified in the Ordinances.

(2) Each department or school of studies shall be headed by the Head of the Department as prescribed in the Ordinances.

(3) The composition and functions of the departments and schools and other related matters shall be such as are specified in the Ordinances.

सत्यापित
20-11-17
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

14.The Board of Studies.—(1) Each Department and School of studies shall have a Board of Studies to advice on academic matters of the Department or School, as the case may, including matters relating to formulation of curriculum and its regular update.

(2) The composition of Board of Studies and its functions will be as specified in the Ordinances.

15. The Finance Committee.— (1) The Finance Committee shall develop financial policies of the University and to oversee the revenues and expenditures of the university.

(2) The Finance Committee shall make recommendations on generating revenues through the university's activities and these recommendations of the Finance Committee shall be placed before the Board of Management for a decision.

(3) The Finance Committee shall make recommendations on improving the operational efficiency of the University's activities, measures for revenue generation, and on major expenditure proposals of the university, as may be required by the Board of Management.

(4) The Controller of Finance shall be the ex-officio Member-Secretary of the Finance Committee.

(5) The annual accounts and the budget of the university prepared by the Controller of Finance shall be placed before the Finance Committee for approval before being submitted to the Board of Management.

16. Selection Committees.—(1) There shall be constituted selection committees for making recommendations to the Board of Management for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers, other academic staff and heads of colleges maintained by the University.

(2) Each of the selection committees for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and other academic staff shall consist of the following members, namely :

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) One of the Deans of the related discipline nominated by the Board of Management;

(iii) Three experts not connected with the University to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of not less than seven names approved by the Academic Council for each department/school;

(iv) Four members of the selection committee (who shall include at least two experts) shall form a quorum for a meeting of the selection committee constituted under clause (2).

(3) Each of the selection committees for appointment to the posts of heads of colleges maintained by the University shall consist of the following members, namely—

(i) The Vice-Chancellor,

(ii) Secretary, Technical Education of the Government of NCT Delhi.

(iii) Three eminent professionals to be nominated by the Vice-chancellor, out of a panel approved by the Academic Council for the post of Principal/Director.

(iv) A member of the Board of Management to be nominated by Vice Chancellor.

Four members shall form the quorum and it should include at least one person from category (iii) above.

(4) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of various categories of staff, other than the academic staff, shall consist of the following members namely :

(i) the Vice-Chancellor or his nominee not below the rank of Pro Vice-Chancellor of the university,

(ii) the Registrar,

(iii) the Secretary, Technical Education of the Government of Delhi or his nominee not below the rank of Joint Secretary,

(iv) a representative of the scheduled castes or scheduled tribes of the rank of a Gazetted Officer :

Provided that whenever necessary, two experts may be nominated by the Vice-Chancellor in the above Selection Committees.

(5) The quorum for a meeting of a selection committee constituted under clause (4) shall be three.

(6) The procedures to be followed by the selection committees constituted under this statute shall, in making recommendations, be such as laid down in the Ordinances.

17. Special mode of appointment.— (1) Notwithstanding anything contained in Statute 16, the Board of Management may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept the post of a professor/Associate professor or any other equivalent academic post in the University on such terms and conditions as it may deem fit, and appoint the person to such post.

(2) The Board of Management may appoint any member of the academic staff working in any other university or organisation on a teaching assignment or for undertaking a project or any other work on such terms and conditions as may be determined by the Board of Management in accordance with the manner specified by the Statutes.

18. Recognized teachers.—(1) The qualifications and other conditions of eligibility for recognition of teachers working in the colleges maintained by the University shall be such as are prescribed by the Ordinances.

(2) All cases of recognition of teachers in a college shall be dealt with and approved by the selection committees as constituted under clause (2) of Statute 16.

सत्यापित
20-11-17
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

19. Committees.—(1) Any authority of the University may appoint as many standing or special committees as it may deem fit and may appoint on such committees such persons as are not members of such authority.

(2) Any committee appointed under clause (1) may deal with any subject delegated to it and before taking action, if any, shall seek confirmation of it from the authority appointing it.

20. Terms and Conditions of service and code of ethics for the teachers and other academic staff of the University.—(1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of ethics as are specified by the Statutes and the Ordinances.

(2) Every teacher and member of the academic staff shall be appointed on a written contract.

(3) A copy of every contract referred to in clause (2) shall be deposited with the Registrar.

21. Terms and conditions of service and code of conduct for other employees of the University.—All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and the code of conduct as specified in the Statutes and the Ordinances.

22. Removal of employees of the University.—(1) Where there is an allegation of serious misconduct against a teacher, a member of the academic staff or any other employee of the University, the Vice-Chancellor may, in the case of a teacher or a member of the academic staff, or the authority competent to appoint (hereinafter referred to as appointing authority) in the case of any other employee, as the case may be, by order in writing, place such teacher, member of the academic staff or other employee as the case may be, under suspension and shall forthwith report to the Board of Management the circumstances in which the order was made.

(2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or in a other terms of conditions of service of the employees, the Board of Management in respect of teachers and other academic staff, and the appointing authority, in respect of other employees, as the case may be, shall have the power to remove a teacher or a member of the academic staff or other employee, as the case may be, on grounds of misconduct.

(3) Save as aforesaid, the Board of Management, or the appointing authority, as the case may be, shall not be entitled to remove any teacher, any member of the academic staff or any other employee except for a justified cause and after giving three months' notice to the person concerned or on payment of three months' salary to him/her in lieu thereof.

(4) No teacher, member of the academic staff or other employee shall be removed under clause (2) or clause (3) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him/her.

(5) The removal of a teacher, a member of the academic staff or other employee shall take effect from the date on which the order of removal is made.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Statute, a teacher, a member of the academic staff or other employee may resign after giving one month's notice in writing to the Board of Management or the appointing authority, as the case may be, or by paying one month's salary in lieu thereof; Provided that such resignation shall take effect only from the date on which the resignation is accepted by the Board of Management, or the appointing authority, as the case may be.

23. Maintenance of discipline amongst the students of the University.—(1) The powers regarding discipline and disciplinary action in regard to the students of the University shall vest in the Vice-Chancellor who may delegate all or any of his powers to such officers of the university, as he may deem fit.

(2) Without prejudice to the generality of his/her powers relating to the maintenance of discipline and taking such action as he/she may deem appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his/her powers, by order, direct that any student or students be expelled or rusticated for a specified period and not admitted to a course or courses of study in the University or college maintained by the University for a stated period, or be punished with a fine for an amount to be specified in the order, or debarred from an examination or examinations conducted by the University for one or more years or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations, in which he/she has or they have appeared, to be cancelled.

(3) The heads of colleges shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over the students in their respective colleges as may be necessary for the proper and efficient functioning of such colleges.

24. Other provisions in respect of employees transferred from erstwhile Delhi College of Engineering.—(a) The Vice-Chancellor will exercise all the powers of the erstwhile Director, Delhi College of Engineering in respect of all the employees of the erstwhile Delhi College of Engineering.

(b) Until the University is able to make specific Statutes or Ordinances or Regulations on this subject, general regulations or procedures applicable to the then Delhi College of Engineering shall continue to apply to these employees.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VINOD Kr. JAIN, Addl. Secy. (TTE)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

सत्यापित
20-11-17
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54